न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-38/2017

गीतादेवी पुत्री भगवाना पत्नी मोठूराम जाति सैनी निवासी ढाणी अमरदास वाली वार्ड नं0-16 श्रीमाधोपुर जिला सीकर{राज0}

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1-केशारीदेवी पुत्री भगवाना पत्नी रामकुंवार जाति सैनी निवासी मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

2-सोनीदेवी पुत्री भगवाना पत्नी मालीराम जाति सैनी निवासी ढाणी टीबा वाली तन मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

3-रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र रामकुंवार जाति सैनी निवासी बस्सी तहसील खण्डेला जिला सीकर{राज0}

4-मनाराम पुत्र रामदेव जाति सैनी निवासी बस्सी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

5-लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर ।

6-कैलाश चन्द पुत्र } भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील
7- सुरेन्द्रसिंह पुत्र } खण्डेला जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
28-4-2017 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी खण्डेला ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री दिनेशकुमारसिंह शेखावत एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री शिवदयाल यादव एडवोकेट- अपीलान्ट
3-श्री विनोद सरोज एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 21.3.2018

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का दावा आदेश-7 नियम-।। सीपीसी पर खारिज करने पर उसकी अपील माननीय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां पेश की जिसे खारिज करने पर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जहां पर हमारी अपील स्वीकार कर दोनो नीचली अदालतों के निर्णय निरस्त कर प्रकरण सहायक जिलाधीश श्रीमाधोपुर{खण्डेला} को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वह दोनों दावों को सम्मिलित करते हुये अपना निर्णय एक साथ साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिये भिजवा दिया । इस दौरान अप्रार्थीगण इस आराजी पर अवैध निर्माण करने की कार्यवाही जोर शोर से शुरू कर दी जिसको रूकवाने के लिये प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी ख0नं0 567, 568, 570, जिनके नये खसरा नं0 1079, 1080, 1081, 1083, 1085 कुल किता-5 रकबा 4.73 हैक्टर ग्राम बस्सी तह0 खण्डेला प्रार्थी के दादा पडदादा के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है जो स्वअर्जित न होकर पैतृक है जिसमें प्रार्थीया का कुल भूमि में 1/8 हिस्सा है। पैतृक भूमि होने से विवादित आराजी का दान पत्र प्रार्थीया के हक हिस्से पर बेअसर एवं प्रभावहीन है । दान पत्र की आड में अप्रार्थीगण समस्त मिलकर प्रार्थीया के हक हिस्से की आराजी में हरे पेड काटकर जबरन कब्जा करने पर आमादा है । जिसके लिये प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आराजी में प्रार्थीया के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत ना स्वयं करें ना ही दीगर से करावे, ना किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करें , ना कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करें, विक्रय न करें दान पत्र एवं इकरारनामा ना करें । इसी दौरान अप्रार्थीया सं0-1 ने प्रार्थना पत्र आदेश-।। सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा पेश पूर्व में इसी रिलीफ का प्रार्थना पत्र पूर्व में खारिज हो चुका अब यह प्रार्थना पत्र पुनः पेश नहीं किया जा सकता । योग्य अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-।। स्वीकार कर प्रार्थीया का

भू-प्रबन्ध अधिकारी ...

प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत द्वारा पूर्व न्याय का सिद्धान्त प्रार्थना पत्रों पर लागू होता है या नहीं इस बिन्दू को निर्णित करते समय कानूनी बिन्दूओं की गलत रूप से व्याख्या कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी भूल की है । वर्तमान प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रार्थीया/अपीलान्ट की निगरानी को दिनांक 25-11-2016 को स्वीकार कर रामगोपाल व गीतादेवी द्वारा प्रस्तुत दोनों दावों को सम्मिलित कर निर्णय गुणावगुण पर किये जाने हेतु रिमाण्ड किया है । दावा रिमाण्ड करने के आदेश के बाद रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी कृषि भूमि से अकृषि में बदलने की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर प्रार्थीया ने यह आवेदन पेश किया। अर्थात यह प्रार्थना पत्र नया तथ्य आने पर पेश किया गया है जिस पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो पर कोई मनन नहीं किया ओर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को केवल कानूनी बिन्दू पर खारिज कर दिया ।अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में दिनांक 22-4-2017 को रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने दावा निर्माण किये जाने एवं कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने का कथन किया गया है। उक्त परिवर्तन किये जाने की दशा में अपीलांट का वाद ऐनफेक्सिस होने की पूर्ण सम्भावना होने के बावजूद अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है ।मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी संख्या-7053/2008 को दिनांक 3-11-2010 को अदालत मातहत में मूल वाद अदम हाजरी में खारिज हो जाने के कारण उसके xxxx आधार पर निरस्त कर दी गई । अपीलान्ट को इस बाबत जानकारी होने पर मूल वाद पुनः नम्बर पर आ गया जिसके बाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वा द्वारा यथास्थिति के आदेश उक्त पत्रावली को रिमाण्ड करने तक प्रभावी रहा है अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया

है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर आराजी ख0नं0 1079, 1080, 1081, 1083, 1085 कुल किता-5 रकबा 4.73 हैक्टर ग्राम बस्सी तहसील खण्डेला में अपीलान्ट के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त एव उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत नहीं करें, पक्का निर्माण नहीं करें कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तीत नहीं करें, आराजी का विक्रय अन्तरण नहीं करें रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिये पाबन्द किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2030 से 2033 में ख0नं0 567, 568, 570 कुल किता-3 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी मनाराम पुत्र धन्नाराम हि0 1/2, भगवाना पुत्र आशाराम माली हि0 1/2 के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 567, 568 व 570 के हाल ख0नं0 1079, 1080, 1081, 1083, 1085, 1086 बने हैं । जमाबन्दी सं0-2052 से 2055 मे नये ख0न0 1079, 1080, 1081, 1083, 1085, 1086 कुल किता-6 रकबा 4.73 हैक्टर की खातेदारी मनाराम पुत्र रामदेव हि0 1/2, केसरीदेवी पत्नी रामकुवार के नाम दर्ज है । जमाबन्दी स0- 2030 से 2033 मे विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के पिता भगवाना के हिस्सा 1/2 दर्ज है ।अर्थात विवादित आराजी पैत्रिक हैं। इस जमाबन्दी पर नामा0 सं0-226 के द्वारा भगवाना के बजाय केशारीदेवी पत्नी रामेश्वर माली के नाम दर्ज है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1ने दिनांक 27-4-2017 को अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें निवेदन किया गया कि गीतादेवी द्वारा एक वाद पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31-7-2002 को बाद सुनवाई खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध गीतादेवी ने अदालत हाजा(भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर) में अपील पेश की जिसको बाद सुनवाई दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

5-7-2008 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट गीतादेवी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां निगरानी सं0-7053/2008 पेश की जो दिनांक 3-11-2010 को सारहीन होने के कारण खारिज कर दी । उक्त निर्णयों की प्रति पेश की है । अब प्रार्थीया/अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उन्ही पक्षकारों के मध्य पेश किया है जिसका पूर्व में गुणावगुण पर निर्णय अपीलीय न्यायालयों में हो चुका। उन्ही पक्षकारों में पुनः (पूर्व न्याय) सिद्धान्त के विरूद्ध अस्थाई एवं निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रारम्भः से ही खारिज होने योग्य है ।अदालत मातहत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज कर दिया । अदालत मातहत को इस सन्दर्भ में देखना था कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपील संख्या-3146/2011 दिनांक 25-11-2016 के द्वारा अदालत हाजा का निर्णय दिनांक 9-5-2011 एवं विद्वान सहायक कलेक्टर खण्डेला का निर्णय दिनांक 16-6-2010 को अपास्त कर दोनो दावो को सम्मिलित कर एक साथ साक्ष्य दर्ज कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया है । अब यहां पर देखने वाला प्रश्न यह है कि पूर्व में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक खारिज हुआ उसके सन्दर्भ में तो दावा पुनः विद्वान सहायक कलेक्टर खण्डेला का दोनों दावों को कन्सोलिडेट कर गुणावगुण पर निर्णय करने के लिये रिमाण्ड किया है अर्थात दावा के निर्णय तक विवादित आराजी की स्थिति को यथावत रखाजाना आवश्यक हो गया क्योंकि दावे में अब नई परिस्थितीयां पैदा हुई । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया। अतः हम न्यायहित में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखा जाना उचित मानते है।

अतः

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी खण्डेला का निर्णय दिनांक 28-4-2017 खारिज किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त विवादित आराजी में अपीलान्ट के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें, आराजी का किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.3.2018 को सुनाया गया ।

21/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर